

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2013/आश्विन 4, 1935

No. 4921

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2013/ASVINA 4, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 657(अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता (संशोधन) नियम, 2013 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(2) चिड़ियाघर जो उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्तंभ (3) से स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट मानदंडों में से किन्हीं दो का और स्तंभ (7) और स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो, को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ऐसे रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

परंतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण लिखित आदेश द्वारा, उक्त आदेश में पशु चिकित्सक एवं पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों के नियोजन सिहत चिड़ियाघर के क्षेत्रफल, आवास, देखरेख और स्वास्थ्य के देखभाल की सुविधाओं संबंधी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए किसी लघु चिड़ियाघर को संकटग्रस्त प्रजातियों को रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''

[फा.सं. 26-4/2007-सीजेडए (खण्ड-II)]

डा.एस.के. खंडूरी, महानिरीक्षक, वन (वन्यजीव)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 807 (अ), तारीख 10 नवंबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है ।

4143GI/2013

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2013

G.S.R. 657 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild life (Protection) Act, 1972, the Central Government hereby make the following amendment in the Recognition of Zoo Rules, 2009 namely:—

- 1. Short title and commencement,—(1) These rules may be called the Recognition of Zoo (Amendment) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Recognition of Zoo Rules, 2009, in rule 9, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(2) The zoo which meets any two of the criteria specified in columns (3) to (6) and meet the criteria specified in column (7) and (8) specified in the Table above shall be classified as such by the Central Zoo Authority:

Provided that the Central Zoo Authority may, by order in writing, allow a mini zoo to keep animals of endangered species subject to the conditions, if any, laid down in that order with regard to the area of the zoo, housing, upkeep and healthcare facilities including deployment of veterinarian and supervisory level staff".

[F.No26-4/2007-CZA(Vol-II)]

Dr. S.K. KHANDURI, Inspector General of Forests (Wildlife)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 807(E), dated the 10th November, 2009, which has not been amended so far.